समाचार

निगम कार्यालय या जोन कार्यालय में कर जमा कर सकते हैं करदाता

कोरबा 05 मई 2020 —नगर पालिक निगम कोरबा के करदाता निगम को देय विभिन्न करों एवं देयकों का भुगतान निगम कार्यालय या क्षेत्रीय जोन कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यालयीन समय पर कर सकते हैं। इसके साथ ही संपदा शाखा की समस्त भुगतान सुविधा पूर्व की भांति साकेत भवन के संपदा शाखा के काउंटर में प्रारंभ करा दी गई है।

निगम के अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुए कहा है कि नोवल कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए देशव्यापी लाकडाउन प्रभावशील है, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक सेवाओं में शासकीय विभाग एवं नगर पालिक निगम कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यालयीन कार्य प्रारंभ किए गए हैं। निगम कार्यालय में एवं निगम के समस्त जोन कार्यालयों में भी राजस्व सम्पत्तिकर एवं संपदा शाखा, भवन, भूखण्ड के किराया, प्रीमियम आदि जमा कराया जा रहा है, जिसके लिए कर्मचारी नियुक्त हैं। उन्होने निगम के समस्त करदाताओं से कहा है कि सम्पत्तिकर, जलकर, दुकान किराया, भवन लीज एवं अन्य समस्त करों का भुगतान क्षेत्रीय कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यालयीन समय पर जमा किया जा सकता है एवं संपदा शाखा की समस्त भुगतान सुविधा पूर्ववत साकेत भवन स्थित संपदा शाखा के काउंटर में प्रारंभ करा दी गई है।